"कार्यालय ज्ञाप"

निदेशालय के पत्र संख्या 5520/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2017–18 दिनांक 19–03–2018 द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/ 2017, दिनांकः 06 फरवरी 2018 तथा सरकारी गजट, उत्तराखण्ड अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांकः 05 जनवरी 2018 के क्रम में सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हींकरण किये जाने हेतु शासन के उक्त शासनादेश के बिन्दु–02(4) सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चिन्हॉकन एवं उसका प्रकटीकरण तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) के परिशिष्ट–02, सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इंगित विभिन्न बिन्दुओं यथा–सामान्य आधाभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज आदि सुविधा के अनुसार राज्य स्तरीय तीन कार्यालयों की स्थिति के अनुसार अनन्तिम रूप से सुगम–दुर्गम स्थानों को अनन्तिम रूप से प्रस्तावित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कार्मिकों से आपत्तियां प्राप्त की गई थी। इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः सम्यक विचारोपरान्त अंतिम निर्णय लेते हुये सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चिन्हींकरण विभाग में संचालित राज्य स्तरीय संस्थानों को निम्नानुसार अंतिम रूप से सुगम–दुर्गम स्थानों के रूप में किया जा रहा हैः–

क्र0सं0	संस्थान का नाम	जनपद का नाम	चिन्हींकरण
01	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)	पौड़ी गढ़वाल	सुगम
02	प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की (हरिद्वार)	हरिद्वार	सुगम
03	संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून	देहरादून	सुगम

उपरोक्तानुसार सूची को विभाग की वैवसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार सुगम एवं दुर्गम की प्रकटीकरण की सूचना को सम्बन्धित सभी कार्मिकों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ0सं0 4086-88 /नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2017–18 दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि अपर मुख्य सचिव महोदय के सम्मुख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की एवं संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून एवं समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्यो/समन्वयकों/ प्रभारी प्रधानाचार्यों को ई–मेल माध्यम से इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार प्रस्तावित सुगम एवं दुर्गम से सम्बन्धित प्रकटीकरण की सूचना को सम्बन्धित सभी कार्मिकों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

3–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।